न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय) – जयपुर

1. पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार करवा
2. प्रकरण संख्या : 26/2020
3. उनवान : सरकार जरिये डा0 महेन्द्र कुमार शर्मा, उर्वरक निरीक्षक कृषि

बनाम

1. ग्राम सेवा सहकारी समिति (लि0) देवगांव तह0 बस्सी जिला जयपुर।
2. श्री कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री रामनाथ मीणा ग्राम विमलपुरा तह0 बस्सी जिला जयपुर।
3. मैसर्स जी0बी0 एग्रो इण्ड प्लॉट न0 1723 पनोली जी.आई.डी.सी. भरुच, गुजरात।

4. निर्णय दिनांक : 28.08.2024
5. अधिवक्तागणों का नाम : अ) पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।
   ब) अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक, सहायक निदेशक कृषि (वि0) सांगानेर, जयपुर डा0 महेन्द्र कुमार शर्मा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 पेश कर निवेदन किया है कि दिनांक 18–01–2018 को ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 देवगांव बस्सी में एक उर्वरक नमूना फास्फेट रिच आर्गेनिक मेन्योर (प्रॉम) का लिया गया था। उक्त उर्वरक नमूना राजकीय उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला दुर्गापुरा जयपुर की रिपोर्ट क्रमांक 1976–78 दिनांक 20.02.2018 द्वारा अमानक पाया गया। नमूना अमानक पाये जाने पर नियमानुसार शेष रहे उर्वरक कुल 49 बैग (49x50=2450 किग्रा.) कुल चौबीस क्विं0 पचास किग्रा0 को दिनांक 13.03.2018 को जब्त किया गया। उक्त जब्ती उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 का उल्लंघन पाये जाने पर नमूना अमानक पाये जाने पर की गई। प्रार्थना पत्र के साथ नमूना रिपोर्ट, फर्द जाप्ता तलाशी, मौका नक्शा, फर्द जब्ती, सुपुर्दगीनामा आदि की प्रति पेश कर निवेदन किया है कि जब्त उर्वरक को आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6–ए(2) के तहत राजसात कर उचित माध्यम से करवाकर राशि राजकोष में जमा कराने का आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 को नोटिस सम्यक रुप से तामील है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री घनश्याम शर्मा एवं उनके सहअधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से दिनांक 28.06.2024 को नोटिस का प्रत्युत्तर व लिखित अभ्यावेदन पेश किया गया जिसमें अंकित है कि नोटिस माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा जारी नहीं किया जाकर रीडर द्वारा जारी किया गया है जो कि अवैध है। नोटिस आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 अन्तर्गत नहीं है। नमूने लेने की प्रक्रिया में नियमों की पालना नहीं की गई। प्रयोगशाला द्वारा जांच रिपोर्ट 30 दिन की समय सीमा के अन्दर प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक को नहीं भेजी गयी। अप्रार्थीगण को रिपोर्ट 07 दिवस के भीतर नहीं भेजी गयी। जिससे अप्रार्थीगण नमूने के दूसरे व तीसरे परीक्षण कराने की अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। दिनांक 05.02.2017 को अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स जी.बी. एग्रो इण्ड से इन्वाईस नंबर 57 से अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सहकारी समिति लि0 देवगांव बस्सी में उक्त उर्वरक क्रय किया। तत्समय अप्रार्थी संख्या 2 कृष्ण कुमार मीणा उक्त समिति में

अतिरिक्त कलक्टर
(तृतीय) जयपुर

व्यवस्थापक नहीं था। अतः प्रकरण निरस्त फरमाया जाकर की गई कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे एवं अधिग्रहीत उर्वरक या उससे विक्रीत राशि अप्रार्थीगण को वापिस दिलायी जावे।

पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई। विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। प्रार्थी पैरोकार सरकार द्वारा विभागीय प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए जब्त माल को राजसात करने का निवेदन किया। तदुपरान्त पत्रावली दिनांक 280.08.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि नमूने लेने की प्रक्रिया में नियमों की पालना नहीं की गई। प्रयोगशाला द्वारा जांच रिपोर्ट 30 दिन की समय सीमा के अन्दर प्रार्थी उर्वरक निरीक्षक को नहीं भेजी गयी। अप्रार्थीगण को रिपोर्ट 07 दिवस के भीतर नहीं भेजी गयी। जिससे अप्रार्थीगण नमूने के दूसरे व तीसरे परीक्षण कराने की अपील प्रस्तुत नहीं कर सके। दिनांक 05.02.2017 को अप्रार्थी संख्या 3 मैसर्स जी.बी. एग्रो इण्ड से इन्वाईस नंबर 57 से अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम सहकारी समिति लि0 देवगांव बस्सी में उक्त उर्वरक क्रय किया। तत्समय अप्रार्थी संख्या 2 कृष्ण कुमार मीणा उक्त समिति में व्यवस्थापक नहीं था। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जाकर जब्तशुदा उर्वरक को रिलीज करने की कृपा करें। अधिवक्ता ने अपनी बहस के समर्थन में न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की हैं।

हम प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का अवलोकन व मनन कर इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अप्रार्थी संख्या 1 से दिनांक 18.01.2018 को लिए गए उर्वरक के नमूने परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 20.02.2018 में अमानक पाये जाने पर कुल 49 बैग (49x50=2450 किग्रा.) कुल चौबीस क्वि0 पचास किग्रा0 को दिनांक 13.03.2018 को जब्त किया गया। अप्रार्थी को जारी किये गये सम्मन नोटिस सीपीसी के आदेश 5 नियम 3 के अन्तर्गत न्यायालय मुद्रा से विधिवत जारी किये गये हैं। उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 30 के अनुसार उर्वरक के नमूने लेने की तारीख से 7 दिवस की अवधी के भीतर प्रयोगशाला में भेजे जाने का प्रावधान है। प्रयोगशाला द्वारा नमूने का विश्लेषण कर रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी को 60 दिवस के भीतर भेजने का प्रावधान है। रिपोर्ट प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नमूने लिए जानी वाली फर्म को उक्त रिपोर्ट से अवगत कराये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में नमूने 18.01.2018 को लिये जाकर प्रयोगशाला में दिनांक 22.01.2018 को भेज दिया गया था। प्रयोगशाला द्वारा दिनांक 22.01.2018 को प्राप्त नमूने की रिपोर्ट दिनांक 20.02.2018 को सक्षम प्राधिकारी को भेज दी गई। साथ ही रिपोर्ट के आने के पश्चात ही दिनांक 13.03.2018 को जब्ती का कार्यवाही की गयी जो कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के खण्ड 30 के प्रावधानों का अक्षरक्षः पालन करते हुए की गई। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरें उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती है। अप्रार्थीगण द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे प्रार्थी द्वारा की गई कार्यवाही विधिक अनुरुप ना हो तथा जब्त उर्वरक को (मानक) वैध साबित करता हो। ऐसी स्थिति में फर्दानुसार प्रार्थी द्वारा जब्त कुल 49 बैग (49X50=2450 किग्रा.) कुल चौबीस क्वि0 पचास किग्रा0 को राजसात किया जाता है। उर्वरक निरीक्षक एवं सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) सांगानेर जयपुर को निर्देश दिये जाते हैं कि जब्त वस्तुओं का विधिवत अन्तिम निस्तारण कर राशि राजकोष में जमा कराकर पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.08.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजकुमार कस्वा)
अति. जिला कलक्टर एवं
जिला मजिस्ट्रेट (तृतीय)
जयपुर।

Court of the Addl. Collector & Addl. District Magistrate